न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी — श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या — 170 / 2023
सी.सी.एम.एस. नम्बर — 2023 / 269

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1.अणदाराम पुत्र वगताराम
2.जोगाराम पुत्र वगताराम
3.माधाराम पुत्र वगताराम
4.बुधाराम पुत्र वगताराम
5.भीमाराम पुत्र वगताराम
6.अमकीदेवी पत्नी वगताराम
7.किशन पुत्र कोलाराम
8.जेपाराम पुत्र कोलाराम
9.मथरा पत्नी कोलाराम
10.शंकर पुत्र कोलाराम
11.लछाराम पुत्र कानाराम
12.देवाराम पुत्र मादाराम
13.विशनाराम पुत्र देवाराम
14.हीराराम पुत्र देवाराम
15.तीजोदेवी पत्नी लच्छाराम
16.मुलाराम पुत्र आशाराम
17.सोमाराम पुत्र आशाराम
जाति कलबी निवासी थोब तहसील कल्याणपुर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.मांगाराम पुत्र खंगारराम
2.सवाराम पुत्र खंगारराम
3.कोलाराम पुत्र तेजाराम
4.चुतराराम गोद पुत्र पुनमाराम
5.जितेन्द्र पुत्र बुधाराम
6.हरिराम पुत्र रूपाराम
7.हड़मानाराम पुत्र गुणेशाराम
8.चेलाराम पुत्र कोलाराम
9.राणाराम पुत्र कोलाराम
10.शंकरराम पुत्र कोलाराम
11.तेजाराम पुत्र सालगाराम
12.देराजराम पुत्र पुरखाराम
13.भीमाराम पुत्र पुरखाराम
14.कुम्भाराम पुत्र तुलसाराम
15.अणदाराम पुत्र नेमाराम
16.सिमरथाराम पुत्र चिमनाराम
17.नवाराम पुत्र गुणेशाराम
18.चेनाराम पुत्र जैरूपराम
19.मौकाराम पुत्र मगाराम
20.बुधाराम पुत्र मोडाराम
21.चेनाराम पुत्र तुलसाराम
22.देराजराम पुत्र तुलसाराम
23.गेनाराम पुत्र तुलसाराम
24.नेनाराम पुत्र अनाराम
25.प्रेमाराम पुत्र पूनमाराम
26.मांगाराम पुत्र वीरमाराम
27.खीमाराम पुत्र वीरमाराम
28.वीरमाराम पुत्र गोकलाराम
जाति कलबी निवासी झंवर तहसील लुणी
29.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार कल्याणपुर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.03.03 21:14:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी ,अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

<u>आदेश</u>

दिनांक 15.01.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1555 / 1000,1556 / 1000,1557 / 1000 कुल क्षेत्रफल 4.8561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1552 / 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1554 / 1000 क्षेत्रफल 7.2600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1553 / 1000 क्षेत्रफल 8.8788 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1555 / 1000,1556 / 1000,1557 / 1000 कुल क्षेत्रफल 4.8561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1552 / 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1554 / 1000 क्षेत्रफल 7.2600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1553 / 1000 क्षेत्रफल 8.8788 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 14 ने उपस्थित होकर प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किए जाने पर अनापति की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 13 व 15 से 29 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वक्त बहस के समय विप्रार्थी संख्या 14 उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:13 IST
Reason: SelfAttested

3.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1555 / 1000, 1556 / 1000,1557 / 1000 कुल क्षेत्रफल 4.8561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1552 / 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1554 / 1000 क्षेत्रफल 7.2600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1553 / 1000 क्षेत्रफल 8.8788 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1555/1000, 1556/1000, 1557/1000 कुल क्षेत्रफल 4.8561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1552/1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1554/1000 क्षेत्रफल 7.2600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1553/1000 क्षेत्रफल 8.8788 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1555/1000, 1556/1000,1557/1000 कुल क्षेत्रफल 4.8561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1552/1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1554/1000 क्षेत्रफल 7.2600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1553/1000 क्षेत्रफल 8.8788 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की पृथक पृथक खातेदारी में इन्द्राज है। विवादित भूमि के मूल खसरान नम्बर 1000 से विभक्त होकर नए खसरान नम्बर 1555/1000 1556/1000, 1557/1000, 1552/1000, 1554/1000,1553/1000 कायम हुए है और उक्त खसरान भूमि प्रार्थी की पृथक पृथक खातेदारी में इन्द्राज है और वकील प्रार्थीगण की ओर से मूल खसरान मय विभक्त होकर बने समस्त नए खसरान को सम्मिलित करते हुए नेखमबंदी करवानें के लिए आवेदन पत्र पेश किया। जबकि मूल खसरा संख्या 1000 को छोड़ते हुए शेष खसरान भूमि की नेखमबंदी के लिए पृथक से आवेदन पेश किए जाने चाहिए,क्योकि मूल खसरा संख्या 1000 से विभक्त होकर बने खसरान के खाते एवं खातेदार पृथक है और उनके सेढा पड़ौसी भी पृथक होना प्रतीत होता है। इस कारण प्रार्थीगण केवलमात्र 1000 खसरान भी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए हकदार है। शेष खसरान के लिए पृथक से आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेंगें। सीमाज्ञान फर्द दिनांक 01.06.2023 के अनुसार विवादित खसरा संख्या 1000 की सीमाओं को लेकर पड़ौसी खातेदार के मध्य विवाद है। ऐसी सूरत में प्रार्थी उक्त खसरान की नेखमबंदी करवानें का हकदार है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण खातेदारी खसरा संख्या 1000 की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–प [illegible] 1 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें [illegible] गण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1000 क्षेत्रफल 7.2520 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ नेखम स्थापित

उपखण्ड अधिकारी

करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 15.1.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:13 IST
Reason: SelfAttested